फा.संख्या 14/1/2014-विधायी-2
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

86-B, संविधान सदन,
नई दिल्ली
दिनांकः 13.06. 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाए गए मामले-17वीं लोकसभा के विघटन का प्रभाव।

अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध भारत सरकार में संसदीय प्रक्रियाओं के क्रमांक 15.5 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जो इस मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं (https://mpa.gov.in/documents/manuals. जिसमे निम्नलिखित प्रावधान हैः-

"लोक सभा के भंग होने पर नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले व्यपगत हो जाएंगे "।

उपरोक्त के अनुसरण में, सत्रहवीं लोक सभा के दौरान (दिनांक 17-06-2019 से 05-06-2024 तक)नियम 377 के अधीन उठाए गए सभी लम्बित मामले व्यपगत हो गए और परिणाम स्वरूप इस मंत्रालय के रिकार्ड से हटा दिए गए हैं। सभी मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध है कि वे भी इन मामलों को अपने रिकार्ड से हटा दें।

जहां तक उपरोक्त अवधि में राज्य सभा में विशेष उल्लेख द्वारा उठाए मामलों का संबंध है, वे तब तक लम्बित रहेंगे जब तक कि संबधित सदस्यों को उत्तर नहीं भेज दिए जाते ओर इसकी सूचना राज्य सभा सचिवालय और इस मंत्रालय को नहीं भेज दी जाती। राज्यसभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए लंबित मुद्दों की सूची शीघ्र उत्तर के लिए पिछले पृष्ठ पर देखी जा सकती है। सभी संबंधित मंत्रालयों से इन लंबित मुद्दों पर जल्द से जल्द जवाब देने का अनुरोध किया जाता है।

(राजेश कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23035854

सेवा में :-
सभी मंत्रालय/विभागों के संसद अनुभाग